— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मोतीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मातासुख का खसरा नम्बर 385 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.1691 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 देवीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मातासुख का खसरा नम्बर 385 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.1691 हैक्टेयर उत्तरी तरफ रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 नाथूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मातासुख के खसरा नम्बर 1007/721 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता एवं खसरा नम्बर 721 रकबा 0.7608 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. 2, 3 व 4 क्रमशः सुमित्रा, सन्तोष एवं संगिता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 07-09-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner